संख्याः–शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस–16/2019–सामान्य निर्देश
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001 शिक्षा निदेशालय 24 जून, 2020

24 JUN 2020

प्रेषकः

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषितः

समस्त जिला उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– निजी स्कूलों द्वारा मनमानी पूर्वक बढाई गई टयूशन फीस व अन्य चार्जेज वसूल करने तथा बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बन्द करने के सन्दर्भ में कार्यवाही करने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 23.06.2020 को समाचार पत्र दैनिक जागरण में छप्पी खबर के माध्यम से छात्र अभिभावक मंच द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि निजी स्कूलों की बताई गई मनमानी फीस जमा न करवाने वाले अभिभावकों को स्कूल प्रबन्धन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। स्कूल, अभिभावकों को उनके द्वारा निर्धारित मनमानी फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे है। कई स्कूलों ने टयूशन फीस के अतिरिक्त अन्य चार्जेज जमा न करने पर बच्चों की ऑनलाईन कक्षाएं बंद कर दी है। इन बच्चों को छात्रों के लिए बनाये गये स्टडी ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। अभिभावकों को बार–बार फीस जमा करनें के लिए मैसेज भेज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इन फीसों में सभी तरह के चार्जेज को ट्यूशन फीस में समाहित कर दिया गया है व ट्यूशन फीस के मुकाबले तीन गुणा ज्यादा तक फीसें जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

उक्त सन्दर्भ में जैसा कि इस निदेशालय द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से जारी निर्देशानुसार पत्र दिनांक 27.05.2020 व 10.06.2020 के अन्तर्गत समस्त निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अभिभावकों से किसी भी प्रकार की फीस बसूल करने, ट्यूशन फीस त्रैमासिक आधार पर जमा न करके केवल मासिक आधार पर एकत्र करने, शिक्षण शुल्क केवल उन वर्गो से लेने जिन्हें ऑनलाइन शिक्षण सामग्री/कक्षाएं प्रदान की गई है, टयूशन फीस में कोई वृद्वि न करने और ट्यूशन शुल्क में किसी भी अन्य शुल्क/छिपे हुए शुल्क को नहीं जोड़ने, लॉकडाउन की अवधि के दौरान परिवहन शुल्क न लेने, किसी भी छात्र को लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट के कारण शुल्क का भुगतान न करने पर ऑनलाइन कक्षाओं/पठन सामग्री से वंचित न करने, किसी अभिभावक द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्यूशन फीस जमा न करने की स्थिति में जुर्माना न लगाने और छात्रों का नाम स्कूल रोल से नहीं हटाये जाने के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये थे। छात्र अभिभावक मंच द्वारा विभाग दिनांक 19.06.2020 को दिये गये ज्ञापन के अर्न्तगत अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि अधिकतर निजी स्कूलों द्वारा विभाग द्वारा जारी निर्देशो की अनुपालना नहीं की जा रही है।

अतः छात्र अभिभावक मंच से प्राप्त ज्ञापन व समाचार पत्र में छप्पी खबर की प्रति आपको प्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि आप मामले की जांच कर विभाग द्वारा इस निदेशालय के पत्र संख्याः *EDN-H (21) A (1) PS-16/2019-General Instruction-* दिनांक 27.05.2020 व 10.06.2020 में जारी निर्देशो की अनुपालना न करने वाले स्कूलों के विरूद्व सख्त कार्यवाही अमल मे लाये तथा ऐसे स्कूलों की सूची सहित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट इस निदेशालय को तुरन्त प्रेषित करें। ताकि दोषी स्कूलों के विरूद्व नियमानुसार विभागिय कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

निदेशक (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या - ई.डी.एन. –यु-(-ए-II)/ प्राइवेट स्कूल/- 949 दिनांक 28-07-2020
कार्यालय, उप निदेशक शिक्षा उच्चतर , ऊना जिला ऊना (हि. प्र.)

1. समस्त प्राइवेट उच्च व बरिष्ठ स्कूल, जिला ऊना के मुखियाओं को कढ़ाई से अनुपालना हेतु प्रेषित है। यदि किसी स्कूल का किसी भी प्रकार की अनियमितता का मामला विभाग के ध्यान में लाया जाता है तो स्कूल प्रबधंन के विरुद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी।

Deputy Director of Higher Education
Una District Una (H.P.)